न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीरसिंह, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 08/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. कंवराराम पुत्र भोपालराम जाति–राईका,निवासी–पृथ्वीपुरा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली		1. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला–पाली

<u>राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956</u>

तारीख रजू:.18/01/2017

उपस्थितः. 1. श्री रामलाल देवासी, अधिवक्ता, प्रार्थी।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 21/02/2017

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट. 1956, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–पृथ्वीपुरा, पटवार हल्का–गरनिया, भू0अ0नि0–बैंड़कलां, तहसील–जैतारण जिला–पाली में प्रार्थी के नाम की खातेदारी एवं कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 29/1 रकबा 13–11 बीघा, खसरा नम्बर 31 रकबा 11–03 बीघा, खसरा नम्बर 6/6 रकबा 0–05 बीघा, खसरा नम्बर 49/1 रकबा 25–00 बीघा, खसरा नम्बर 161 रकबा 4–17 बीघा की आई हुई हैं। जिसकी वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं, जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम वर्तमान जमाबन्दी में कंवरीलाल पुत्र भोपाल कौम–राईका तथा खसरा नम्बर 161 की वर्तमान जमाबन्दी में कंवरिया पुत्र भोपाल कौम–राईका अंकित किया हुआ हैं, जो गलत हैं, जो काबिल दुरूस्त के हैं। प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम कंवराराम पुत्र भोपालराम हैं, जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत भारत सरकार द्वारा जारी निर्वाचन पहचान कार्ड व भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, पैन कार्ड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड, बैंक एकाउन्ट आदि सरकारी व अर्द्धसरकारी दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम कंवराराम पुत्र भोपालराम लिखा हुआ हैं। इस कारण से खसरा नम्बर 29/1 रकबा 13–11 बीघा, खसरा नम्बर 31 रकबा 11–03 बीघा, खसरा नम्बर 6/6 रकबा 0–05 बीघा, खसरा नम्बर 49/1 रकबा 25–00 बीघा, खसरा नम्बर 161 रकबा 4–17 बीघा कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम कंवरीलाल पुत्र भोपाल कौम–राईका के स्थान पर कंवराराम पुत्र भोपालराम कौम–राईका संशोधित किया जाना अति आवश्यक हैं। जब प्रार्थी को अपनी उक्त कृषि भूमि से बैंक से ऋण लेने की आवश्यकता हुई तथा प्रार्थी ने पटवारी हल्का–जैतारण से उक्त खसरा नम्बरान् की जमाबन्दी ली। तब उक्त जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम कंवरीलाल पुत्र भोपालराम कौम–राईका अंकित होना सर्वप्रथम जानकारी में आया। तब प्रार्थी ने पटवारी, पटवार हल्का–जैतारण को सही नाम दर्ज करने बाबत् कई बार निवेदन किया एवं एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थी तहसीलदार, जैतारण के कार्यालय में नाम संशोधन करने से स्पष्ट रूप से ईन्कार कर दिया व सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने का कहा। तब प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का श्रीमान् के समक्ष पेश किया हैं। उक्त कृषि भूमि ग्राम–पृथ्वीपुरा, पटवार हल्का–गरनिया, तहसील–जैतारण में स्थित होने से उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान् को होने से यह प्रार्थना पत्र निश्चित् न्याय शुल्क पर अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष पेश किया हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

इस प्रकार वाद–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर माफिक दावा वाद स्वीकार किये जाने तथा प्रार्थी का उक्त राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज कंवरीलाल एवं कंवरिया के स्थान पर वास्तविक नाम कंवराराम दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। तहसीलदार, जैतारण प्रतिवादी ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के सभी तथ्य स्वीकार हैं। प्रार्थी का नाम वर्तमान जमाबन्दी में कंवरीलाल पुत्र भोपाल व कंवरिया पुत्र भोपाल कौम–राईका दर्ज हैं। प्रार्थी का अन्य सभी साक्ष्य दस्तावेजात में नाम कंवराराम पुत्र भोपालराम दर्ज हैं। जो कबिल दुरूस्त के हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार, जैतारण द्वारा पेश जबाबदावा एवं वाद–पत्र के साक्ष्य सबूत में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहिचान पत्र संख्या RJ/21/159/042340 दिनांक 24/01/2003, डाईविंग लाईसेन्स डी0एल0 नंम्बर RJ22 20120002741, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड संख्या 08200102513001929, पेन कार्ड संख्या CJIPR6083F, एवं आधार कार्ड संख्या 730422001359 की छाया प्रतियाँ पेश की, जिससे प्रार्थी का सही नाम कंवराराम ही हैं। राजस्व अभिलेख में गलत रूप से कंवरीलाल पुत्र भोपाल व कंवरिया पुत्र भोपाल दर्ज नाम के स्थान पर कंवराराम पुत्र भोपालराम दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक प्रार्थी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–पृथ्वीपुरा, पटवार हल्का–गरनिया, भू0अ0नि0–बैंड़कलां, तहसील–जैतारण जिला–पाली में प्रार्थी के नाम की खातेदारी एवं कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 29/1 रकबा 13–11 बीघा, खसरा नम्बर 31 रकबा 11–03 बीघा, खसरा नम्बर 6/6 रकबा 0–05 बीघा, खसरा नम्बर 49/1 रकबा 25–00 बीघा, खसरा नम्बर 161 रकबा 4–17 बीघा भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का गलत दर्ज नाम कंवरीलाल पुत्र भोपाल व कंवरिया पुत्र भोपाल के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम कंवराराम पुत्र भोपालराम कौम–राईका दुरूस्त रुप से दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती हैं। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं कि राजस्व रेकर्ड में घोषणानुसार अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 23/02/2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)